

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024

दिनांक 03/06//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 02.06.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भावरकोल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 61/24 धारा- 147,148,149,353,332,307 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण में उ0नि0अधनी प्रताप सिंह मय हमराह दिनांक 01.06.2024 को समय 20.20 बजे ग्राम वीरपुर के सूचना कर्ता रविशंकर राय उर्फ झबलू राय पुत्र भगवती राय थाना भावरकोल गाजीपुर के विपक्षियों द्वारा मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाजे पर लगे बल्ब खिड़की आदि को तोड़-फोड़ करना व सूचना कर्ता द्वारा पुलिस टीम के साथ जब गोलू राय उर्फ आशुतोष राय के घर किए तोड़-फोड़ को दिखाने जाते समय रास्ते में विपक्षियों द्वारा घेर कर मारना पीटना व जान से मारने की नियत से विपक्षी चन्दन राय पुत्र उमेश राय द्वारा अपने पास लिए अवैध पिस्टल से पुलिस टीम पर लक्ष्य कर फायर कर देना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/24 धारा- 147,148,149,353,332,307 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट बनाम 1- चन्दन राय पुत्र उमेश राय, 2- देवेश राय पुत्र स्व0 भूपेन्द्र नाथ राय, 3-अतुल राय पुत्र राजेश राय, 4- रविप्रकाश राय पुत्र स्व0 लालबहादुर राय, 5- अमित कुमार पुत्र ओम प्रकाश राय, 6- दशरथ चौधरी पुत्र राधे चौधरी, 7- महेश चौधरी पुत्र श्री भगवान चौधरी सम्स्त निवासी गण वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, उक्त घटना संलिप्त अभि0 1- चन्दन राय पुत्र उमेश राय, 2- देवेश राय पुत्र स्व0 भूपेन्द्र नाथ राय, 3-अतुल राय पुत्र राजेश राय, 4- रविप्रकाश राय पुत्र स्व0 लालबहादुर राय, 5- अमित कुमार पुत्र ओम प्रकाश राय, 6- दशरथ चौधरी पुत्र राधे चौधरी सम्स्त निवासी गण वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर को दिनांक- 01.06.2024 को समय करीब 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1.चन्दन राय पुत्र उमेश राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 2.देवेश राम पुत्र भूपेन्द्र राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 3.रविप्रकाश राय पुत्र स्व0 लालबहादुर राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 4.अतुल राय पुत्र राजेश राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 5.अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर
- 6.दशरथ राय पुत्र राधे राय ग्राम वीरपुर थाना भावरकोल गाजीपुर

बरामदगी

अभियुक्त चन्दन राय के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल तथा 03 अदद जिन्दा कारतुस 01 अदद खोखा कारतुस 32 बोर
घटना स्थल से बरामद 03 अदद लाठी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 61/24 धारा- 147,148,149,353,332,307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना भावरकोल गाजीपुर

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**